

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान आता सिंह आदि बनाम सुशक्ति सिंह आदि

प्रकरण संख्या 09 / 2023 अन्तर्गत धारा 251(A) R7A

दिनांक

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

अकमल सिंह
सुशक्ति सिंह

31/5/24

अधिवक्तागण उपरिच्यता प्राचीगण अधिवक्ता के द्वारा प्राचीन पत्र पेश कर विवेदन किया कि उक्त प्रकरण में हम पक्षकारण का आपस में राजीनामा हो चुका है। इस कारण हम पक्षकारण उक्त प्रकरण में आगे कोई भी कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

प्राचीगण व प्राचीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राचीगण द्वारा प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) R7A नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली विणति होकर नम्बर से कम होकर बाकिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर